SAO & CPIO
किस परीक्षा के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है?
10/8/15

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कल्याणपुर कानपुर,

विषय— जनसूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगे जाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना चाहती हूँ।

1. परीक्षा होने के बाद में चयन प्रकिया में क्या नियम है।
2. अभ्यार्थी के चयन के लिए किस तरह प्रतिशत निकालकर चयन किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मांगी गयी सूचना बिन्दुवार देने की कृपा करें।

संलग्नक

भारतीय पोस्टल आर्डर दस रूपये मूल्य का जिसका नं0–33एफ0–656988 दिनांक 07.08. 2015।

दिनांक: 08.08.2015

भवदीय

Archana

(अर्चना)

2/375 सेक्टर एच0 जानकीपुरम

लखनऊ

पिन–226021

Sh. Rajeev 10/8/15

कृपया IPO सं0 33F 656988 प्राप्त कर रसीद जारी करें।
13/8/15

कैशियर

168
10.8.15

RTI MATTER/BY SPEED POST

सं.25(52)/2014/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन : 0512-2570542, 543
फैक्स : 0512-2570247
ई मेल : nsikanpur@nic.in

जारी
संख्या 367
दिनांक 26/8/15
(हस्ताक्षर)

कानपुर,दिनांक- 25.08.2015

सेवा में,

कु०/श्रीमती अर्चना,
2/375 सेक्टर एच, जानकीपुरम,
लखनऊ 226021

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदया,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 08-08-2015 के सन्दर्भ में यह सूचित करना है कि आपके प्रार्थना पत्र से स्पष्ट नहीं होता कि आप किस परीक्षा के चयन प्रक्रिया के सन्दर्भ में जानकारी चाहती हैं।

सूचना के अधिकार के अधिनियम-2005 में सूचना की परिभाषा के अन्तर्गत केवल वह सूचना प्रदान की जा सकती है जो उपलब्ध हो आपके द्वारा अनुरोध पर विचार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को कृपया यह स्पष्ट करें कि आपको किस परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी चाहिए। सूचना देने हेतु विचार नियमान्तर्गत आपके स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगे गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208017

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 25/8/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

O/C

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
कल्याणपुर, कानपुर 208017

विषय : जानसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0 25(52)/2014/RTI/367 कानपुर, दिनांक 25.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपने परीक्षा की चयन प्रक्रिया स्पष्ट न होने को कहा गया है। मैं ANSI(ST) की प्रवेश परीक्षा होने के उपरान्त निम्नलिखित सूचनाएं चाहती हूँ–

1. ANSI(ST) की लिखित परीक्षा होने के बाद चयन प्रक्रिया के क्या नियम हैं ?
2. लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के चयन के लिए किस तरह अंकों का प्रतिशत निकाला जाता है ?

अतः महोदय आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : भारतीय पोस्टल आर्डर
संख्या 33F 619506 दिनांक 21.09.15
मूल्य रूपये 10/

दिनांक : 22.09.15

भवदीया

Archana

(अर्चना)
2/375, सेक्टर एच,
जानकीपुरम, लखनऊ–226021

Diet prokosth

फाइल संख्या- 25(52)/2014/RTI/34

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई0एस0ओ0 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543
फैक्स : (0512) 2570247
ई -मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दि0: 23.10.2015

जारी
संख्या 420
दिनांक 27/10/15

सेवा में,

श्रीमती अर्चना,
2/375, सेन्टर एच, जानकी पुरम,
लखनऊ

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बंध में।**

महोदया,

आपके आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2015 के संदर्भ में मांगी गयी सूचना निम्नलिखित है–

1. ANSI(S.T.) में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर किया जाता है।
2. ANSI(S.T.) में चयन हेतु गणित में अधिमान 20%, रसायन शास्त्र में अधिमान 40%, भौतिकी में अधिमान 20% एवं रसायन अभियांत्रिकी में अधिमान 20% होता है। उक्त के आधार पर ही मेरिट बनायी जाती है।

साथ ही आपको यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्व में आपके द्वारा भेजा गया IPO ही सूचना देने के लिए पर्याप्त है। अतः वर्तमान में आपके द्वारा भेजा गया IPO (संख्या 33F694906, दिनांक 21-09-2015) आपको मूल रूप में वापस भेजा जा रहा है। इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि भविष्य में यदि कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो IPO, जनसूचना अधिकारी के नाम से नही अपितु निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,कानपुर के नाम से भेजना होगा।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नही है तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते है:–

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर–208017

भवदीय

23/10/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

O/C
23/10/15